

**सूचना एवं प्रचार निदेशालय****कार्यालय आदेश**

दिल्ली, 9 फरवरी, 2011

फा. सं. 4 (53)/2004/डीआईपी/स्थापना/ 524—533. —

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 10-01-2011 को सम्पन्न हुई बैठक की सिफरिश पर, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री महेश चन्द्र, सूचना अधिकारी को उप-निदेशक, पद ग्रुप 'ए' राजपत्रित, वेतनमान 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) पर तुरन्त प्रभाव से नियुक्त करते हैं। उनके प्रोबेशन की अवधि दो वर्ष की होगी।

पी. के. त्रिपाठी, प्रधान सचिव (जन सम्पर्क)

**DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY****OFFICE ORDER**

Delhi, the 9th February, 2011

F. No. 4(53)/2004/DIP/Estt/524—533.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee held in the Union Public Service Commission on 10-01-2011 the Lt. Governor of Delhi is pleased to promote Sh. Mahesh Chandra. Information Officer to the post of Deputy Director, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial in the Pay Band of Rs. 15600-39100 (Grade Pay-6600) on officiating basis with immediate effect. He will be on probation for a period of two years.

P. K. TRIPATHI, Principal Secy. (PR)

**कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण****आदेश**

दिल्ली, 18 अप्रैल, 2011

फा. सं. 10 (1661)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./11829.—गृह

मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री श्री सी रीयल इस्टेट्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY****ORDERS**

Delhi, the 18th April, 2011

F. No. 10(1661)/COS(HQ)/Cons. Duty/11829.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India,

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Real Estates Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-1, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred only) on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 27 अप्रैल, 2011

फा. सं. 10 (1654)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./12102.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री श्री सी इन्फ्रा स्क्वेयर प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 27th April, 2011

F. No. 10(1654)/COS(HQ)/Cons. Duty/12102.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Infra Square Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-1, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred only) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1656)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./12103.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री श्री सी शेल्टर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1656)/COS(HQ)/Cons. Duty/12103.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India,

Capital Territory of Delhi, till such time they hold the present post or till further orders, whichever is earlier.

**No. F. 4/4/2003-HOME(G)/1362(ii).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri R. K. Mishra, Danics Officer, Executive Magistrate to be an Additional District Magistrate, till such time they hold the present post or till further orders, whichever is earlier.

**सं. फा. 4/2/2003/गृह ( सामान्य )1372.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं यू-11011/2/74-यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री प्रवेश रंजन झा, दानिक्स अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (हौज खास) को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

**No. F. 4/2/2003-HOME(G)/1372.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Pravesh Ranjan Jha, Danics Officer, presently working as SDM (Hauz Khas) to be the Executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, till such time he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

**सं. फा. 18/31/2006/गृह ( सामान्य )1385.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं यू-11011/2/74-यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री सतीश कुमार, तहसीलदार/चक्कबन्दी अधिकारी (नरेला), श्री संजीव कुमार, तहसीलदार (नरेला) एवम् श्री कमल नयन, तहसीलदार/चक्कबन्दी अधिकारी (सरस्वती विहार) को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

**No. F. 18/31/2006-HOME(G)/1385.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to delegate the powers of Executive

Magistrates in the Metropolitan area of Delhi upon Shri Satish Kumar, Tehsildar/Consolidation Officer (Narela), Shri Sanjiv Kumar, Tehsildar (Narela) and Shri Kamal Nayan, Tehsildar/Consolidation Officer (Saraswati Vihar), Delhi, till such time they hold the post of Tehsildar or Tehsildar/Consolidation Officer till further orders, whichever is earlier.

**शुद्धि-पत्र**

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2011

**सं. फा. 4/5/2003/गृह ( सामान्य )1430.**—इस प्रकार के आदेश संख्या F. 4/5/2003-HOME(G)/727-36 दिनांक 11-03-2011 के आंशिक संशोधन के उपरान्त इस विषय सम्बन्धित जानकारी निम्नानुसार पठनीय है :-

निम्न के स्थान पर :-

“केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली के निम्न अधिकारियों की दिल्ली महानगर क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति”।

पठनीय है :-

“दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली के निम्न अधिकारियों की दिल्ली महानगर क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति”।

अन्य नियम व शर्तें, इस सन्दर्भ में जारी पूर्व आदेश, दिनांक 11-03-2011 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,  
आर. चोपड़ा, संयुक्त सचिव (गृह)

**CORRIGENDUM**

Delhi, the 26th April, 2011

**No. F. 4/5/2003-HOME(G)/1430.**— In partial modification of this Govt.'s Order No. F. 4/5/2003-HOME(G)/727-36 dated 11-03-2011, the following details of subject may be read as :-

In place of :-

“Appoint the following officers of Central Administrative Tribunal, Delhi to be the Executive Magistrates in Metropolitan Area of Delhi”.

Read as :-

“Appoint the following officers of Delhi High Court to be the Executive Magistrates in Metropolitan Area of Delhi”.

The other terms & condition will remain same as per previous order dated 11-3-20011.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National  
Capital Territory of Delhi,  
R. CHOPRA, Jt. Secy. (Home)